

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 35/2022

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

GCMS NO . -----

उनवान- मनोज बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:आदेश:-

दिनांक : 05/01/2022

प्रार्थी के 'नाम दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का श्रीकाश के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीकाश की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>श्रीकाश</u>	<u>83</u>	<u>लीलाएस पुत्र श्रीकाश</u>	<u>मनोज पुत्र श्रीकाश</u>

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 35/2022
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

क्रमांक :- राजस्व/2022/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 05/01/2022

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. मनोज 5/10 श्रीकाश गाँव बुहाना जिला झुंझुनूं तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 35/2022
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

